



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225।

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2017/माघ 5, 1938

No. 225।

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2017/MAGHA 5, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2017

का.आ. 251(अ).—जब कि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि लोक हित में यह समीचीन है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), की प्रथम अनुसूची में, 'दि बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक में सेवा' जोड़ा जाए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 40 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, उसकी मद सं. 31 के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ती है, अर्थात् :-

"32. दि बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक में सेवा।"

[सं. एस-11017/1/2016-आईआर (पीएल)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2017

S.O. 251(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest to add to the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the ‘services in the Bank Note Paper Mill India Private Limited, Mysore, Karnataka’;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 40 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby adds the following item to the First Schedule to the said Act, after item 31 thereof, namely:---

“32. Services in the Bank Note Paper Mill India Private Limited, Mysore, Karnataka.”

[No. S-11017/1/2016-IR(PL)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.